**संख्या- 47/2016/यू0ओ0-96/एक-6-2016-रा0-6-33/2015-**

**उच्च शिक्षा अनुभाग-5**

प्रेषक,

धनलक्ष्मी के0,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उच्च शिक्षा विभाग,

उ0प्र0 शासन ।

**राजस्व अनुभाग-6** **लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2016**

विषय: जनपद रामपुर में राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर के क्रीडा स्थल हेतु राजस्व विभाग के स्वामित्व की नान जेड0ए0 की भूमि 0.387 हे0 उच्च शिक्षा विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या-693/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 14-03-2014 एवं पत्र संख्या-1088/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 05-11-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर के सम्मुख सडक के दूसरी ओर ग्राम बिलासपुर दरवाजा ता ईदगाह दरवाजा तहसील सदर स्थित राजस्व विभाग की नान जेड0ए0भूमि खाता संख्या-13, क्षेत्रफल 0.387 हे0 प्रश्नगत विद्यालय के क्रीडा स्थल हेतु जनहित में अपरिहार्य परिस्थितियों में सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003 एवं गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 के तहत श्री राज्यपाल महोदय उच्च शिक्षा विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि जनपद रामपुर में राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविालय, रामपुर के क्रीडा स्थल हेतु प्रथमत: 90 वर्ष के लिये पट्टे पर दी जायेगी, जिसे 30-30 वर्ष के लिये नवीनीकृत करने का प्राविधान होगा।

(2) भूमि पर स्वामित्व राजस्व विभाग का ही बना रहेगा। इस भूमि का उपयोग जनपद रामपुर में राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर के क्रीडा स्थल हेतु किया जायेगा। उक्त प्रयोजन समाप्त हो जाने पर या इससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर अथवा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर भूमि पुन: राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी और पट्टा स्वत: समाप्त माना जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था में बन्धक रखने के पूर्व शासन की लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(4) पट्टा असंक्रमणीय होगा अर्थात पट्टेदार को पट्टा शुदा भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन आदि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) पट्टा-विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

(6) पट्टा विलेख का निष्पादन गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 एवं सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियावली, 1987 यथा संशोधित नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा किया जायेगा।

2- कृपया तदनुसार प्राथमिकता पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

धनलक्ष्मी के0
सचिव।

**संख्या-47/2016/यू0ओ0-96(1)/एक-6-2016, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद ।
4- जिलाधिकारी, रामपुर ।
5- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( गिरीश चन्द्र )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in